



**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- pccf-development@gov.in, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0ब0-25/2018-1268 दिनांक : 08/10/18

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमंडल/लातेहार वन प्रमंडल/गढ़वा
उत्तरी वन प्रमंडल/गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल ।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "सिल्विकल्चर ऑपरेशन" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुर्नजनन, जल एवं भू-संरक्षण वृक्षारोपण कार्य हेतु **रु0 628.680 (छः करोड़ अठाईस लाख अड़सठ हजार रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:- विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-37/2018-20/स्वी0 व0प0 दिनांक 27.07.2018 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-37/2018-61/आ0 व0प0 दिनांक 02.08.2018 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष-40 सिल्विकल्चर ऑपरेशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल **रु0 628.680 (छः करोड़ अठाईस लाख अड़सठ हजार रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601101400103	403.546
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601101400323	225.134
कुल :-		628.680

2. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के **अनुलग्नक-1** पर वर्णित वन प्रमंडल पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी एवं अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने कार्यालय के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत करेंगे। कार्य दर **अनुलग्नक-2**, स्थल विवरणी **अनुलग्नक-3** पर तथा ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-4** पर द्रष्टव्य है।

9

3. इस योजना का कोड संख्या-19S240601101400103 एवं 19S240601101400323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे जिनके मार्गदर्शन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।

5. योजना का कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व संबंधित वन संरक्षक स्थलीय भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत स्थल का घनत्व खुले वन/ सामान्य वनों की श्रेणी में आता है एवं स्वीकृत स्थल इस कार्यालय के पत्रांक 641 दिनांक 30.05.2018 द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप है। कार्य करने के पूर्व सभी स्थलों पर Photography/ Videography कारवाई जायेगी, ताकि वनों की वस्तुस्थिति जानी जा सके। अगले वर्ष अप्रैल-मई माह में पुनः Photography/ Videography करवाई जाएगी, ताकि वनों के प्राकृतिक पुर्नजनन विधि के करवाये गए कार्यों से वनों के घनत्व में आए परिवर्तन को देखा जा सके।

इस योजना में gap/enrichment plantation के लिए प्राकृतिक प्रजाति के 200 पौधे प्रति हे० लगाने के लिए भी प्रावधान किया गया है। Root-Shoot को स्थाई पौधशालाओं से क्रय कर Tube में तैयार किया जाएगा या फिर Tube plant को स्थाई पौधशाला से क्रय किया जाएगा। किसी अन्य संस्था से पौधों का क्रय वित्तीय अनियमितता माना जाएगा, जिसके लिए अनुशासनहीनता एवं वित्तीय अनियमितता के आरोपों के तहत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

6. वन सर्वेक्षण कार्य के दौरान खूंटों को Cutback करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि stump को जमीन से 6" छोड़कर एक बार में तेज टांगी/आरी से काटा जाए, ताकि stump फटे नहीं। किसी भी परिस्थिति में काटी हुई stump की trimming नहीं की जाए।

7. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा स्थल विशेष योजना तैयार कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा, जिस संबंधी अभिलेखों का संधारण क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में किया जायेगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया

जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

9. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास से उप आवंटन प्राप्त होने के उपरांत की जाएगी।

10. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

12. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जाएगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जाएगा।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

15. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प सं0 940 दिनांक 16.03.2016 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

16. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना



सं0-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

18. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542, दिनांक-19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-25/2018-1268 दिनांक- 08/10/18

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मेदिनीनगर, पलामू/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, पलामू/ गढ़वा/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-25/2018-1268 दिनांक- 08/10/18

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, पलामू/ गढ़वा/ लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन योजना (अन्य व्यय) के अन्तर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुनर्जनन, जल एवं भू-संरक्षण तथा 200 पौधा प्रति हे० वृक्षारोपण अग्रिम कार्य एवं तीन वर्षों के लिए समापन एवं सम्पोषण कार्य का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र० सं०	वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे०)	2018-19 (अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			23738.00	13243.14	36981.14
पलामू रीजन					
1	मेदिनीनगर वन प्रमण्डल	500	118.690	66.215	184.905
2	लातेहार वन प्रमण्डल	400	94.952	52.973	147.925
3	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल	400	94.952	52.973	147.925
4	गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल	400	94.952	52.973	147.925
योग:-		1700	403.546	225.134	628.680

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

योजना का नाम : सिल्विकल्चरल ऑपरेशन योजना का दर निर्धारण

(Open Forest (10-40 प्रतिशत घनत्व) with adequate root stock)

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रु० में) :

237.38

क्र० सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल खर्च (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	वित्तीय वर्ष 2018-19 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 237.38						
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे०	3	712.14	0.00	712.14	
2	कटबेक/कॉपसिंग, क्लाइम्बर कटिंग, स्टम्प ड्रेसिंग आदि	हे०	15	3560.70	0.00	3560.70	
3	न्यूनतम आवश्यकता अनुसार स्वीकृत विभागीय दर पर वन संरक्षक के अनुमोदन से मशीन द्वारा ट्रेंच/पत्थर घेरान अथवा झाड़ी घेरान (i) ट्रेंच घेरान- ऊपर की चौड़ाई 1.83 मी०, नीचे की चौड़ाई 1.22 मी०, गहराई 1.22 मी०, ड्रेसिंग सहित (ii) पत्थर घेरान- ऊपर की चौड़ाई 0.30 मी०, नीचे की चौड़ाई 1.25 मी०, ऊँचाई 1.00 मी० (iii) झाड़ी घेरान	प्रति हे० औसतन 6 चैन	12	2848.56	11782.74	14631.30	प्रति हे० ट्रेंच घेरान 6 चैन का प्रावधान है किन्तु स्थल पर भूगतान वास्तविक कार्य संपादन के अनुसार किया जायेगा
4	मृदा कार्य (0.45 मी. x 0.45 मी. x 0.45 मी.) 0.091 क्यू० मी० अधिकतम 200 पीट प्रति हे० (संरक्षण एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	हे०	20	4747.60	0.00	4747.60	
5	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य - कंदूर ट्रेंच - अधिकतम 50 कंदूर, साईज 5 मी. x 0.45 मी. x 0.45 मी. का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी 2 मीटर से 3 मीटर हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे ढाल पर 0.15 मीटर हट कर 0.30 मीटर की चौड़ाई में 0.15 मी. गहरा कोड़नी कर रखा जाना।		40	9495.20	500.00	9995.20	अवश्यकतानुसार ढलान पर ही कंदूर ट्रेंच का निर्माण किया जायेगा। कंदूर ट्रेंच के बर्म पर स्थानीय प्रजाति के बीजों को भी बोया जाएगा।
6	गली प्लगिंग	हे०	6	1424.28	0.00	1424.28	
7	स्थाई पौधशालाओं में उपलब्ध (10% अतिरिक्त) 60% Root-Shoot को 6"x12" आकार की ट्यूब में Pre-sprout कराकर पौधा तैयार करना।	220	2	474.76	960.40	1435.16	स्थाई पौधशाला से क्रय किये गये Tube Plants/ Root-Shoot के क्रय के लिए रु 5.00 की दर से राशि जमा कराई जाएगी। स्थानीय एवं फलदार प्रजाति के बड़े पौधे को प्राथमिकता दी जायेगी
8	वनों की सुरक्षा		2	474.76	0.00	474.76	
	योग-		100	23738.00	13243.14	36981.14	

प्रधान, मुख्य वन सहायक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक कार्यान्वित की जाने वाली "सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन योजना" (अन्य व्यय) के अंतर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुनर्जनन, जल एवं भू-संरक्षण तथा 200 पौधा प्रति हे० वृक्षारोपण अभिगम कार्य का स्थल विवरणी

क० स०	वन प्रमण्डल का नाम	वन प्रमण्डल का नाम	प्रमण्डल का नाम	PR/RR का नाम	स्थल का नाम	भयाना / भयाना का नाम	जमीनी प्रमण्डल का नाम	स्थल नंबर	क्षेत्रफल (है० मी०)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x
पलामू सीजन:-									
1	मेदिनीनगर वन प्रमण्डल	मनातू	मनातू		उदयपुरा	मनातू- 506	N 24° 05' 46" E 84° 30' 15"	1 फी	50
		छतरपुर पश्चिमी	हरिहरगंज		बेरगाई	हरिहरगंज- 227	N 24° 55' 527" E 084° 12.577"	1 से 6, 10	50
		मोहम्मदगंज	हुसैनबाद		जालाकाला	हुसैनबाद- 555	N 24° 68.587" E 084° 96.587"	1, 2	100
		छतरपुर पूर्वी	छतरपुर		तेलारी	छतरपुर- 266	N 24° 19' 304" E 84° 555.2"	76, 77, 78, 79, 243	50
		चैनपुर	रामगढ़		मुसरमु	जालटनगंज- 149	N 23° 49' 8.24" E 84° 02' 16.40"	776	100
2	लातेहार वन प्रमण्डल	पाटन	पाटन		सूला	पाटन- 293	N 24° 7' 4" E 84° 13' 43"	1860	50
		मोहम्मदगंज	विश्रामपुर		आरापुर	विश्रामपुर- 119	N 24° 14.178" E 084° 02.346"	295, 297, 296, 299, 300, 301, 302	100
		बालूमाथ	हेरहंज		मार्गमल	बालूमाथ- 24	N 23° 57' 34.0" E 84° 44' 08.7"	392, 542	50
		बालूमाथ	हेरहंज		हुम्बू	बालूमाथ- 92	N 23° 53' 9.761" E 84° 43' 14.822"	317, 321	50
		रिचुष्टा	किस्को		उलदाग	लोहरदगा- 110	N 23° 39' 21.625" E 84° 36' 35.048"	85, 93, 97, 119, 110, 145	50
		मनिका प्रादेशिक	मनिका		बरवैया कला	लातेहार- 134	N 23° 57' 34.0" E 84° 44' 08.7"	1, 2 3फी, 4फी	50
		मनिका प्रादेशिक	मनिका		दासडीह	लातेहार- 105	N 23° 48' 919" E 84° 19' 273"	136, 137, 138, 139फी, 140	50
		मनिका प्रादेशिक	मनिका		देवबार	लातेहार- 175	N 23° 47' 19.746" E 84° 23' 28.832"	23, 24, 25, 26, 29	50

	चंदवा	चंदवा	बोदा	बालूमाथ- 269	N 23° 38' 55.0" E 84° 43' 17.8"	8, 118, 82, 178	50
	लातेहार	लातेहार	मंगरा	बालूमाथ- 166	N 23° 47' 46.61" E 84° 34' 50.55"	33, 34, 35, 32, 31	50

3	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल	रंका पश्चिमी	रंका	सेराशाम	रंका- 77	N 23° 02' 10" E 84° 47' 45"	3, 11, 16, 17, 18, 22, 26	50
			रंका	डोल	रंका- 01	N 24° 03' 41" E 83° 32' 39"	692, 705, 742, 752, 1311 से 1315	50
			रंका	दूर्जन	रंका- 142	N 23° 49' 45" E 83° 44' 40"	35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46	50
		रंका पूर्वी	रंका	कर्सी	रंका- 43	N 23° 54' 06" E 83° 41' 36"	1 से 7, 26, 30 से 34, 42, 73 से 77, 95, 110, 119, 125, 126, 127	50
			रंका	बरवाही	रंका- 42	N 23° 52' 01" E 83° 42' 14"	619 से 627, 661, 1, 2, 20, 21 से 24	50
			भण्डरिया	गड़िया	रंका- 194	N 23° 40' 44" E 83° 44' 47"	648, 649, 654, 682 से 685, 750, 751, 753, 668 से 681	50
		भण्डरिया	भण्डरिया	रोदो	रंका- 171	N 23° 48' 09" E 83° 52' 26"	291, 292, 807, 782 से 802	50
			भण्डरिया	जोन्हीखाड़	रंका- 168	N 23° 46' 25" E 83° 50' 18"	1 से 7, 13, 14, 16, 67 से 82	50

4	गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल	गढ़वा	गढ़वा	ओबरा / भदुआ	गढ़वा / 371 / 427	N 24° 3' 38.13" E 83° 48' 36.63"	1596, 1596 / 185, 186, 189, 190	50
		भवनाथपुर	भवनाथपुर	अरसली	भवनाथपुर / 56	N 24° 21' 14.06" E 83° 36' 10.48"	2263, 546, 547, 555, 2423, 2412	175
		नगर	नगर उँटारी	कुम्बाखुर्द	गढ़वा / 03	N 24° 19' 0.01" E 83° 25' 34.53"	1 से 18	85
		भवनाथपुर	भवनाथपुर	बनसानी	भवनाथपुर / 15	N 24° 22' 51.61" E 83° 32' 39.58"	2122, 2123	90

400	400
1750	1750

प्रधान मुख्य वन सहायक, बिर्सा,
झारखण्ड, राँची।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/YB-25/2018/1268

दिनांक - 08-Oct-2

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	61314	PLMFOR070 NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV.	11,869,000.00 रुपये एक करोड़ अठारह लाख उनसठ हजार
	State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA			
2	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	61315	LTRFOR001 VED PRAKASH KAMBOJ DFO FOREST DIV LATEHAR	9,495,200.00 रुपये चौरानवे लाख पिनचानवे हजार दो सौ
	State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA			
3	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	61316	GRHFWL004 SR ARVIND KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	9,495,200.00 रुपये चौरानवे लाख पिनचानवे हजार दो सौ
	State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA			

योग:

30,859,400.00

क्रमिक योग:

रुपये तीन करोड़ आठ लाख उनसठ हजार चार सौ

(SHRI SATNAM SINGH)
PCCF, D. CHANDAN (NARS) RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिविलकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	61317	GRHFWL001 ASHOK KUMAR DUBEY D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	9,495,200.00 रुपये चौरानये लाख पिनघानये हजार दो सौ
5	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिविलकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	61320	PLMFOR070 NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O.MEDININAGAR. GREST.DIV.	6,621,500.00 रुपये छठठ लाख इक्कीस हजार पाँच सौ
6	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिविलकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	61321	LTRFOR001 VED PRAKASH KAMBOJ DFO FOREST DIV LATEHAR	5,297,300.00 रुपये बावन लाख सित्तानये हजार तीन सौ

योग:

21,414,000.00

क्रमिक योग:


रुपये पाँच करोड बाइस लाख तीहत्तर हजार चार सौ

52,273,400.00

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF.DIBADNANKHANNA(S)RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं ध्यान पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिन्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	61322	GRHFWL004 SR ARVIND KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	5,297,300.00 रुपये बावन लाख सित्तानवे हजार तीन सौ
8	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिन्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	61323	GRHFWL001 ASHOK KUMAR DUBEY D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	5,297,300.00 रुपये बावन लाख सित्तानवे हजार तीन सौ



योग:

10,594,600.00

क्रमिक योग:

रुपये छः करोड अठाइस लाख अडसठ हजार

62,868,000.00

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, D. B. (ADDITIONAL) RANCHI